File No.9-9099/28/2022- -9-

अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1017(1) / 9–9–2022–101ज / 17

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 21 जून, 2022

विषयः सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा स्थानीय निकायों में घर–घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पी0एन0जी0) कनेक्शन हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–760 / नौ–9–18–101ज / 17, दिनांक–30.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से पी0एन0जी0आर0बी0 अधिकृत कम्पनियों द्वारा स्थानीय निकायों में घर–घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पी0एन0जी0) कनेक्शन हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2. पी0एन0जी0 कनेक्शन हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने में स्थानीय स्तर पर आ रही कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक –13.04.2022 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में गैस कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यतः यह बिन्दु संज्ञान में लाया गया है शासनादेश दिनांक– 30.05.2018 का अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी सड़कों के सन्दर्भ में नहीं किया जा रहा है। अतः लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर पाइपलाइन डालने हेतु अनुमति प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उक्त शासनादेश दिनांक– 30.05.2018 के अनुसार अनुमति में कठिनाई का बिन्दु भी कम्पनी द्वारा संज्ञान में लाया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक– 30.05.2018 की शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन पी0एन0जी0आर0बी0 द्वारा अधिकृत कम्पनियों को जियोलॉजिकल एरिया (GA) में पाइपलाइन बिछाने / डालने की अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 21-06-2022 19:13:10
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(3) अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ

(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

(7) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

(8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

(9) वेबमास्टर नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(10) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

अनिल कुमार–**III**
सचिव।